

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-

बिन्जारी

प्रकरण संख्या:- 306/25

दिनांक:- 3-10-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उनवान

श्री राम प्रसाद पुत्र  
धन्नालाल जाति शर्मा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का बिन्जारी भू. अ. नि. .... एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम वांसड़ा प. 0 ह. 0 बिन्जारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 144, 218, 227, में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	पिता का नाम श्री अशुद्धि	राम प्रसाद पुत्र धन्नालाल जाति शर्मा	राम प्रसाद पुत्र धन्नालाल जाति शर्मा शेष बरवाड़ा प. 0

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री राम प्रसाद पुत्र धन्नालाल जाति शर्मा

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

